

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पालनहार योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र

पालनहार की श्रेणी (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर ✓ का चिह्न लगावें) ::

- | | |
|---|--|
| 1. अनाथ संतान। | 5. एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान। |
| 2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान। | 6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान। |
| 3. निराश्रित विधवा माता की संतान। | 7. नाता जाने वाली माता की संतान। |
| 4. पुर्णविवाहित विधवा माता की संतान | 8. विकलांग माता-पिता की संतान। |
| | 9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान। |

पालनहार का फोटो	()	()	()	()	()

(बच्चों की फोटो व नाम, जिनके लिए पालनहार द्वारा आर्थिक सहायता चाहीं गई है)

1. पालनहार का नाम	:						
2. पालनहार के पिता/पति का नाम	:						
3. जन्म तिथि	:						
4. जाति वर्ग (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर ✓ का चिह्न लगावें)	: (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य)						
5. धर्म	:						
6. निवास स्थान का पूर्ण पता (यथा मकान नम्बर, मोहल्ला, गली, पोस्ट ऑफिस, तहसील जिला)	:						
7. दूरभाष	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">निवास</td> <td style="width: 70%;">:</td> </tr> <tr> <td>कार्यालय</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>मोबाइल</td> <td>:</td> </tr> </table>	निवास	:	कार्यालय	:	मोबाइल	:
निवास	:						
कार्यालय	:						
मोबाइल	:						
8. वर्तमान व्यवसाय	:						
9. वार्षिक आय (निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)	: अंको में (शब्दों में)						

10. क्या बी.पी.एल. में चिह्नित है, यदि हों तो क्रमांक व वर्ष अंकित करें

11. पालनहार का बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम, पता

12. पालनहार द्वारा जिन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता चाहीं गई है, उनका विवरण

नाम	जाति	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	अन्य
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					

13. बच्चों के पिता का विवरण

नाम	पूर्ण पता	मृत्यु तिथि/दण्डादेश तिथि	मृत्यु का कारण	मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	अन्य

14. बच्चों की माता का विवरण

नाम	पूर्ण पता	मृत्यु/पुनर्विवाह तिथि/नाता जाने का समय	मृत्यु/पुनर्विवाह के समय आयु	मृत्यु का कारण	मृत्यु/पुनर्विवाह प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	अन्य

15. घोषणा ::

मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण व संलग्न किए दस्तावेज के तथ्य सही व सत्य है। मैंने पालनहार योजना के नियम पूर्णतः पढ़/सुन/जान लिए हैं। मैं योजना के अनुसार आवेदन में उल्लेखित बच्चों को अपने परिवार में रखकर अपने स्वयं के बच्चों की भाँति भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए तथ्य असत्य/अपूर्ण/भ्रामक पाए जाने अथवा योजना के नियमों की पालना नहीं करने पर विभाग द्वारा दिए गए आदेश/निर्णय/विधिक कार्यवाही की मेरे द्वारा पूर्णतः अनुपालना की जावेगी।

हस्ताक्षर

(पालनहार)

स्थान :

दिनांक :

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ :

1. अनाथ बच्चे के प्रकरणों माता-पिता/पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (जिसमें बच्चों का पालनहार द्वारा उनकी देखभाख किया जाना प्रमाणित हो)
2. न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों के प्रकरणों में दण्डादेश की प्रति।
3. निराश्रित विधवा पेंशन योजना में लाभान्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की की प्रति।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान के प्रकरण में विधवा माता का पुनर्विवाह प्रमाण पत्र।
5. नाते जाने वाली माता की संतान के प्रकरणों में माता को नाते गए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र। सम्बन्धित ग्राम सभा/नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र (ए.आर.टी.डायरी/ग्रीन डायरी की प्रतिलिपि)
7. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति को समक्ष चिकित्सा बोर्ड से जारी बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
8. विकलांग माता-पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का सक्षम चिकित्सा बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
9. तलाकशुदा महिला के संबंध में न्यायालय का आदेश/डिग्री/तलाकनामा स्वयं के शपथ एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की प्रति।
10. परित्याकर्ता महिला जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति के अलग रह रही है, एवं पति से कोई संबंध नहीं है, का प्रमाण पत्र की प्रति।
11. 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी एवं 6-18 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय द्वारा जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र।
12. बैंक खाता की पास बुक की प्रति।
13. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र।

कार्यालय (ग्राम पंचायत) :

दिनांक :

क्रमांक :

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पत्नी श्री

....., निवासी

.....अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र ग्राम सभा की दिनांक को आयोजित बैठक में की गई अनुशंशा के आधार पर आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

(सचिव, ग्राम पंचायत)

जारी कर्ता का नाम :

मोहर :

कार्यालय (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) :

क्रमांक :

दिनांक :

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत सम्बन्धित स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र हेतु) द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पत्नी श्री

....., निवासी

.....अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी

जारी कर्ता का नाम :

मोहर :

पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों^० के पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पिता/पत्नी श्री निम्न

अनाथ बच्चों को अपने परिवार में रखकर स्वयं की संतान की भौति पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं—

क्र. सं.	अनाथ बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा/ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे हैं

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
(सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/
वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)

नाम :
मोहर :

* ये बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मर्त्युदण्ड/आजीवन कारावास से तापीड़ित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी सत्तानों को त्याग दिया हो, के लिए ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है।

कार्यालय (शिक्षण संस्था का नाम) :

क्रमांक :

दिनांक :

विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्डनुसार निम्न विद्यार्थी इस विद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में नियमितरूप से अध्ययनरत है—

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	शिक्षण संस्था में पंजीयन/नामांकन संख्या एवं दिनांक

(हस्ताक्षर)
शिक्षण संस्था प्रधान
जारी कर्ता का नाम :
मोहर :